सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

126

एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन

[भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 89वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना		**(iii)**
		(v)
प्राक्कथन		
प्रतिवेदन	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के **89**वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।	1
परिशिष्ट		
परिशिष्ट-एक	समिति के **89**वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।	3
परिशिष्ट-दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	**7**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

लोक सभा

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 89वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति का यह एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 89वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 05.08.22 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। 89वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को इंगित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिनांक 09.11.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23), लोक सभा</u>

<u>प्रतिवेदन</u>

भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 89वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) के 89वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के 2015-16 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में है, जिसे 05.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. समिति ने अपने 89वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में पांच (5) टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। उक्त प्रतिवेदन की सभी पांच टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर 9 नवंबर, 2022 को प्राप्त हुए थे। तदनुसार, 89वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **<u>परिशिष्ट</u>** में दिया गया है।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि उन्होंने आरसीआई सहित अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी स्वायत्त निकायों को अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और समिति को आश्वासन दिया कि भविष्य में इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग ने यह भी बताया है कि सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में सभी संगठनों को शामिल करते हुए वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठकों की एक व्यवस्था पहले से ही है, जिसमें अपेक्षित पत्रों को सभा पटल पर रखने की प्रगति की निगरानी की जाती है और इसलिए, इन अपेक्षित पत्रों को सभा पटल पर रखने की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से एक अलग डैशबोर्ड बनाने की आवश्यकता, जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। हालांकि, समिति अप्रसन्नता के साथ नोट करती है कि ये बैठकें वांछित परिणाम देने में विफल रहीं, क्योंकि इन दस्तावेजों (आरसीआई के) को सभा पटल पर रखने में विलम्ब अभी भी हो रहा है। अतः, समिति मूल प्रतिवेदन में की गई अपनी सिफारिश को दोहराती है कि इसके बजाय, अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण की लाइव स्थिति दिखाने के लिए, न केवल आरसीआई के लिए, बल्कि सभी अधीनस्थ संगठनों के लिए डैशबोर्ड वाला एक वेब पोर्टल बनाएं, ताकि न केवल आरसीआई, बल्कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर अर्थात संबंधित वित्त वर्ष के 31 दिसंबर तक संसद के समक्ष रखा जा सके।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

परिशिष्ट

(*देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2*)

समिति के 89वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।

भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई), नई दिल्ली

सिफारिश क्र. सं. 21

भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षित लेखाओं और समीक्षा विवरण, जिन्हें नोडल मंत्रालय, अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी) द्वारा सभा पटल पर रखा गया था, की जाचं करने पर समिति पाती है कि अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में लगातार विलंब हुआ है, जबकि उक्त दस्तावेज निर्धारित तिथि अर्थात् संबंधित वित वर्ष के 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखे जाने थे।

समिति, मंत्रालय द्वारा दिए गये झूठे आश्वासन को गंभीरता से नोट करती है और इसलिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई) को सिफारिश करती है कि वह सामान्य वितीय नियमावली, 2017 का और किसी संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में समिति की सिफारिशों का सख्ती से अनुपालन करे। समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि वह भविष्य में इन आवश्यक दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के लिए के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और समीक्षा विवरण को प्रस्तुत करने में विलंब, कोविड-**19** महामारी के कारणवश हुई और इसके लिए खेद है। विभाग ने आरसीआई सहित अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी स्वायत्त निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों को समय पर सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भविष्य में आरसीआई द्वारा इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा.

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ओ.एम. सं. एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

सिफारिश क्र. सं. 22

समिति को बताया गया कि विलंब का एक कारण इन आवश्यक दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद और मुद्रण भी था। मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय ने यह भी बताया कि उन्होंने अब राजभाषा विभाग के अनुवादकों की सहायता से इस समस्या का समाधान कर लिया है। समिति को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर के माध्यम से यह भी बताया गया कि सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बाद के मुद्रण कार्य को अब ओपन मार्किट से करवाया जा रहा है। समिति इन उत्तरों को नोट करती है और उम्मीद करती है कि दस्तावेजों का अनुवाद और मुद्रण मंत्रालय द्वारा तैयार समय-सारिणी के अनुसार किया जाएगा और भविष्य में इसके कारण कोई विलंब नही होगा।

सरकार का उत्तर

विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रत्येक गतिविधि, जिसमें उसका हिंदी अनुवाद और मुद्रण भी शामिल है, के लिए समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) इन दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ओ.एम. सं. एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

सिफारिश क्र. सं. 23

समिति को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया कि विलंब के कारणों में से एक सीएंडएजी से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विलंब से प्राप्त होना था। समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विलंब से संबंधित मामले को सीएंडएजी के कार्यालय के समक्ष उठाए और वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने के बाद आवधिक अनुवर्ती कारवाई सुनिश्चित करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

दिशानिर्देशों के अनुसार संगठनों द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के साथ, अनुवर्ती कार्यवाही करना अपेक्षित है और यदि वह अपनी समस्या का समाधान अपने स्तर पर नहीं कर पाते है तो विभाग के संज्ञान में लायेंगे जिससे कि लेखापरीक्षा प्रक्रिया को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सीएंडएजी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ओ.एम. सं. एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

<u>सिफारिश क्र. सं. 24</u>

समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव द्वारा दिए गए इस आश्वासन को नोट करती है कि मुद्रण, अनुवाद, लेखापरीक्षा प्रक्रिया, लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने जैसे किसी भी कारण से विलंब नही होगा। समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह अपेक्षित दस्तावेजों को तैयार करने और इन्हें अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशो को साझा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन द्वारा इस समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, ताकि न केवल आरसीआई, नई दिल्ली, बल्कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य सभी संगठनों के आवश्यक दस्तावेजों को भी भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

जैसा कि पैरा 21 पर सिफारिश के उत्तर में पहले ही उल्लेख किया गया है, विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति अनुबंध पर संलग्न है।

((सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ओ.एम. सं. एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

सिफारिश क्र. सं. 25

समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से यह सिफारिश भी करती है कि मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन के आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण की लाइव स्थिति दर्शाने और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने और अंतिम रूप देने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करने में विफल रहने वाले संगठनों को स्वचालित अनुस्मारक जारी करने के लिए डैशबोर्ड से युक्त वेब पोर्टल सृजित करने की संभावना का पता लगाए। समिति यह महसूस करती है कि इससे नोडल मंत्रालय को सभी संगठनों के कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

सरकार का उत्तर

इस मामले की जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्वायत्त निकायों और अन्य संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण समय पर सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, पहले से ही ऐसी व्यवस्था है जहाँ विभाग के सभी संगठनों को शामिल करते हुए वरिष्ठ अधिकारी स्तर की बैठक नियमित आधार पर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के स्तर पर की जा रही है। इन बैठकों में दस्तावेजों के सभा पटल पर रखे जाने की प्रगति की निगरानी की जाती है। इस तरह, केवल दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से अलग डैशबोर्ड बनाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ओ.एम. सं. एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

*****

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. श्री चौधरी मोहन जटुआ

4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 89वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****